न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-793/आ० नि० को०   दिनांक-15 मई 2020

आदेश

वाद सं0-529/2020

श्री रौशन कुमार, **Bihar Deaf Association,** श्री ज्ञानेन्द्र मोनिका पुरोहित, डिजेबल राईट्स एडवोकेट, इंदौर एवं कोविड19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में राज्य के बाहर फँसे अन्य दिव्यांगजन .... वादी

बनाम

(1) आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से) .... प्रतिवादी
(2) श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,पटना - सम्बन्धित प्रकरण में नामित नोडल पदाधिकारी

प्रकरण में :- **कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने के सम्बन्ध में।**

सुनवाई की तिथि - दिनांक-15.05.2020 (ऑनलाईन माध्यम से)

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिये गये वाद अन्तर्गत वादी के रूप में श्री रौशन कुमार, Bihar Deaf Association, श्री ज्ञानेन्द्र मोनिका पुरोहित, डिजेबल राईट्स एडवोकेट, इंदौर एवं कोविड19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में राज्य के बाहर फँसे अन्य दिव्यांगजन शामिल है, जिन्होंने एवं/अथवा जिनके सम्बन्ध में कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने के सम्बन्ध इस न्यायालय को विविध माध्यम से आवेदन किया गया है अथवा कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-24 (3) (ग) जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी आवश्यक उपबंध किये जाने का प्रावधान उल्लेखित है, के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने/आदेश निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार है।

उक्त प्रकरण में कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भी पत्र सं0-11-17/सी0सी0डी0/2020-आर0-21659 दि0-11.05.2020 (मूल पत्र आर0-21658 दि0-11.05.2020 रेजिडेन्ट कमिश्नर, बिहार भवन, नई दिल्ली को सम्बोधित) एवं पत्र सं0-11-17/सी0सी0डी0/2020 दि0-12.05.2020 इस न्यायालय को प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रकरण में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्रांक सं०-01/Pra.Aa. (COVID-19) 09/2020/1518/DM Patna, Dated-30.04.2020 के तहत निर्गत आदेश जिसके अन्तर्गत देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में देश के अलग-अलग राज्यों में फँसे लोगों के अन्तर्राजीय आवागमन हेतु विविध राज्यों के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किये गये थे, का संदर्भ ग्रहण किया गया एवं पाया गया कि बिहार राज्य से बाहर फँसे दिव्यांगजनों की राज्य वापसी हेतु अलग से नोडल पदाधिकारी नामित नहीं किये गये हैं। तदनुसार इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय के पत्रांक-777/आ0नि0को0 दि0-05.05.2020 के अन्तर्गत बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों की सूचियाँ (स्थानवार व आवश्यक विवरण सहित) संलग्न करते हुए बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने हेतु अलग से एक नोडल पदाधिकारी (दिव्यांगजनों के सम्बन्ध) नामित किये जाने का अनुरोध किया गया, जो दिव्यांगजनों से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के आधार पर इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश प्रदान कर यथाशीघ्र कारवाई कर सके।

उक्त प्रकरण में वादियों द्वारा निरंतर की जा रही शिकायतों एवं आपदा प्रबंधन विभाग से दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान वापसी हेतु अलग से नोडल पदाधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति के आलोक में वादियों द्वारा की गई शिकायतों के निष्पादन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत वाद पंजीकृत करते हुए न्यायालय के पत्रांक-789/आ0नि0को0 दि0-12.05.2020 के अन्तर्गत मामले के सम्बन्ध में ऑनलाईन सुनवाई हेतु दिनांक-15.05.2020 (अप0 12:30 बजे) की तिथि निर्धारित की गई।

कृ0पृ0उ0............

भारत सरकार द्वारा कोविड19 (COVID-19) से उत्पन्न आपदा स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च 2020 को व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों जारी किये गये हैं। इस संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित उक्त प्रकरण में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का कार्यालय आदेश सं0-को0के0-16/2020-85/आ0प्र0 दि0-15.05.2020 इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिसके अन्तर्गत कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने हेतु श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने की सूचना प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचारोपरांत न्यायालय द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिया गया कि लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने के साथ ही लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालनार्थ उनके मूल गृह स्थान पर वापसी के दौरान सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठायें जाने की भी आवश्यकता है। तदनुसार इस सम्बन्ध में मानक प्रक्रिया विधि तैयार किये जाने की आवश्यकता है, जो इस सम्बन्ध में विविध स्तरों पर जुड़े प्रशासनिक व अन्य पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत की भूमिका निभा सके।

इस मानक प्रक्रिया विधि में निम्न तथ्यों, जो मूलत: उक्त प्रकरण (अर्थात लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आपदा स्थिति में दिव्यांगजन से सम्बन्धित अन्तर्राजीय आवागमन एवं राज्य के भीतर आवागमन) में दिव्यांगजनों के विशिष्ट समस्याओं से सम्बन्धित हैं, को अंगीकृत किया जाना है:-

(1) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0-40-3/2020-डीएम-1(ए) दि0-29.03.2020 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत जारी आदेश एवं इसके आलोक में राज्य द्वारा लॉकडाउन के दौरान अन्तर्राजीय आवागमन हेतु अपनायी जा रही प्रक्रिया इस सम्बन्ध में आधार सिद्धांत होंगे।

(2) दिव्यांगजन से सम्बन्धित अन्तर्राजीय आवागमन एवं राज्य के भीतर भी आवागमन हेतु उनके लिए आवश्यक पहुँच सुविधाओं **(Accessibility Measurs)** की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना। यथा आवागमन हेतु प्रयुक्त वाहन में व्हील चेयर का प्रयोग कर चढ़ने-उतरने, ध्वनि/दृश्य संकेतकों की व्यवस्था इत्यादि।

(3) वैसे दिव्यांगजन जिन्हें चालन हेतु किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

(4) मूक बधिर दिव्यांगजनों के लिए साईन लैंग्वेज इन्टरप्रेटर की व्यवस्था किया जाना ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक संवाद स्थापित हो सके।

(5) अतिगंभीर दिव्यांगता ग्रस्त, ऑटिज्म 'सी.पी.', मानसिक मंदता, 'बौद्धिक दिव्यांग', नेत्रहीन, बहुदिव्यांग एवं अन्य सभी 21 प्रकार के दिव्यांगता ग्रस्तों के सम्बन्ध में उनकी विशेष आवश्यकता अनुरूप आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

(5) इस प्रक्रिया विधि में प्रयुक्त आवश्यक मानव एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था हेतु हुये खर्च के भुगतान की व्यवस्था किया जाना।

(6) राज्य/जिले में वापस लाये जाने के पश्चात क्वारंटाइन/आइसोलेशन केन्द्र में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त बाधारहित वातावरण **(Barrier free Environment)** एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना।

आदेश में शामिल बिन्दुओं के अनुपालन का प्रतिवेदन इस न्यायालय को यथाशीघ्र समर्पित करें। वाद की अगली सुनवाई की तिथि 22.05.2020 को अप0 12:30 बजे निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति आवश्यक अनुपालनार्थ सम्बन्धित पक्षों को उपलब्ध करायें।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दिवस ..15.. माह ..05.. वर्ष ..20.. को जारी की गयी।

15.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ030............

ज्ञापांक-सं0सं0-529/2020-...793/आ० नि० को०   दिनांक-...15...मई'2020

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15.05.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-529/2020-...793/आ० नि० को०   दिनांक-...15...मई'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15.05.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-529/2020-...793/आ० नि० को०   दिनांक-...15...मई'2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को उनके सम्बन्धित पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

15.05.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

No.40-3/2020-DM-I (A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 29th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders No.40-3/2020-DM-I(A) dated 15th April, 2020, 16th April, 2020, 19th April 2020, 21st April 2020 and 24th April 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders ***to include*** the following in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries /Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union Territory Authorities:

Sub-clause (iv) under Clause 17 on Movement of persons:

iv. Due to lockdown, migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons are stranded at different places. They would be allowed to move as under:

a. All States/ UTs should designate nodal authorities and develop standard protocols for receiving and sending such stranded persons. The nodal authorities shall also register the stranded persons within their States/ UTs.

b. In case a group of stranded persons wish to move between one State/ UT and another State/ UT, the sending and receiving States may consult each other and mutually agree to the movement by road.

c. The moving person (s) would be screened and those found asymptomatic would be allowed to proceed.

d. Buses shall be used for transport of groups of persons. The buses will be sanitized and shall follow safe social distancing norms in seating.

e. The States/ UTs falling on the transit route will allow the passage of such persons to the receiving State/ UT.

f. On arrival at their destination, such person(s) would be assessed by the local health authorities, and kept in home quarantine, unless the assessment requires keeping the person(s) in institutional quarantine. They would be kept under watch with periodic health check-ups. For this

purpose, such persons may be encouraged to use ***Aarogya Setu*** app through which their health status can be monitored and tracked.

The guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) on Home Quarantine, dated 11.03.2020 may be referred to in this regard, which are available at https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf.

29/04/2020
Home Secretary

To: **(As per list attached)**

1. The Secretaries of Ministries /Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

Copy to:

i) All members of the National Executive Committee.
ii) Member Secretary, National Disaster Management Authority.

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 29th March, 2020

ORDER

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act,the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, has issued an Order of even number dated 24.03.2020, followed by Addendum Orders of even number dated 25.03.2020 and 27.03.2020 to the Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities with the directions to implement lockdown measures annexed to the said Ordersfor the containment of spread of COVID-19 in the country;

Whereas, movement of a large number of migrants have taken place in some parts of the country so as to reach their home towns. This is a violation of the lockdown measures on maintaining social distance;

Whereas, to deal with the situation and for effective implementation of the lockdown measures, and to mitigate the economic hardship of the migrant workers,in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned, in the capacity as Chairperson, National Executive Committee hereby directs the State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities to take necessary action and to issue necessary orders to their District Magistrate/ Deputy Commissioner and Senior Superintendant of Police/ Superintendant of Police/ Deputy Commissioner of Police, to take following additional measures:

i. State/Union Territory Governments shall ensure adequate arrangements of temporary shelters, and provision of food etc. for the poor and needy people, including migrant labourers, stranded due to lockdown measures in their respective areas;
ii. The migrant people, who have moved out to reach their home states/ home towns, must be kept in the nearest shelter by the respective State/Union Territory Government quarantine facilities after proper screening for a minimum period of 14 days as per standard health protocol;
iii. All the employers, be it in the Industry or in the shops and commercial establishments, shall make payment of wages of their workers, at their work places, on the due date, without any deduction, for the period their establishments are under closure during the lockdown;

iv. Where ever the workers, including the migrants, are living in rented accommodation, the landlords of those properties shall not demand payment of rent for a period of one month.

v. If any landlord is forcing labourers and students to vacate their premises, they will be liable for action under the Act.

It is further directed that in case of violation of any of the above measures, the respective State/UT Government, shall take necessary action under the Act. The District Magistrate/ Deputy Commissioner and Senior Superintendant of Police/ Superintendant of Police/ Deputy Commissioner of Police will be personally liable for implementation of the above directions and lockdown measures issued under the above mentioned Orders.

29/03/2020

Home Secretary

To

1. **The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India**
2. **The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories**
   (As per list attached)

Copy to:

i. All members of the National Executive Committee.

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.